| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए |
|---|---|---|
| 15–01–2024 | **एकल–पीठ**<br>**श्री विष्णु कुमार गोयल, सदस्य**<br><br>**उपस्थित :**<br>श्री योगेन्द्र सिंह, अभिभाषक प्रार्थी (प्रकरण सं.5120/2021)<br>श्री अखिलेश शर्मा, अभिभाषक प्रार्थी (प्रकरण सं.5238/2021)<br>श्री हेमराज गुप्ता, अभिभाषक प्रार्थी (प्रकरण सं.5381/2021)<br>श्री हरदत्त सहारण, अभिभाषक प्रार्थी (प्रकरण सं.5093/2021)<br>श्री अविनाश माथुर, श्री मृणाल शर्मा व रेखा गोयल, अभिभाषक अप्रार्थीगण<br><br>**आदेश**<br><br>निगरानी संख्या 5120/2021 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा–230 के अंतर्गत न्यायालय सहायक कलेक्टर जयपुर शहर (दक्षिण) द्वारा पारित आदेश दिनांक 04–10–2021 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थीगण ने एक वाद सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम के न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 53 व 188 निगरानी ज्ञापन में अंकित विवादित आराजी के संबंध में पेश किया जिसे सहायक कलक्टर ने डिक्री कर वादीगण को विवादित भूमि के 2/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित कर दिया एवं शेष 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार प्रतिवादीगण को घोषित कर दिया। जिसके विरूद्ध प्रस्तुत अपील राजस्व अपील अधिकारी जयपुर ने अपने निर्णय दिनांक 30–08–05 से अस्वीकार कर दिया। जिसकी द्वितीय अपील मण्डल में प्रस्तुत की गई है। अपील के विचाराधीन रहते प्रार्थी द्वारा पक्षकार बनने का प्रार्थना पत्र मण्डल द्वारा खारिज कर दिया गया। पत्रावली रिमाण्ड होने पर प्रार्थी द्वारा परीक्षण न्यायालय के समक्ष पुनः आदेश 1 नियम 10 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसे उभयपक्ष को सुनकर सहायक कलक्टर जयपुर ने निर्णय दिनांक 04–10–21 द्वारा खारिज कर दिया जिससे व्यथित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।<br><br>अभिभाषक प्रार्थी ने निगरानी प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये बहस में कहा कि मण्डल द्वारा पूर्व में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज किया था कि उसे परीक्षण न्यायालय के समक्ष चाराजोही करनी चाहिए थी। विवादित आराजी पुश्तैनी होने से प्रार्थी का उसमें जन्म से हक व अधिकार है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी ने विचारण न्यायालय के समक्ष पुनः आदेश 1 नियम 10 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। जिसे सहायक कलक्टर जयपुर शहर (दक्षिण) ने बिना किसी आधार के खारिज कर दिया। प्रार्थी का विवादित आराजी में हक अधिकार निहित है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर प्रार्थी को वाद में पक्षकार संयोजित करने के आदेश दिये जावे।<br><br>विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण ने उपरोक्त तथ्यों को विरोध करते हुये बहस में कहा कि प्रार्थी का पक्षकार बनने का प्रार्थना पत्र मंडल द्वारा पूर्व में खारिज किया जा चुका था ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने प्रार्थी का पुनः पक्षकार बनाये जाने का प्रार्थना पत्र खारिज किया है। जिसमें किसी प्रकार की | |

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए |
|---|---|---|
| | त्रुटि नहीं होने से पुनरीक्षण याचिका खारिज की जावे।<br><br>उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन व अध्ययन किया ।<br><br>पक्षकारों के मध्य मूल विवाद है तथा वाद में प्रार्थी के दादा एवं कालान्तर में द्वितीय अपील के स्तर पर प्रार्थी के पिता बतौर पक्षकार स्थापित है। ऐसी स्थिति में पिता की जीवनकाल में प्रार्थी को वादग्रस्त भूमि के बाबत् पक्षकार स्थापित किया जाना विधिसम्मत् नहीं होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पूर्व में मंडल द्वारा खारिज किया जा चुका था तथा मंडल के उक्त आदेश को प्रार्थी द्वारा उच्चतर न्यायालय में चुनौती नहीं दी है। विचारण न्यायालय के समक्ष वाद प्रतिप्रेषित होने पर प्रार्थी द्वारा आदेश 1 नियम 10 का प्रार्थना पत्र पेश किये जाने पर विचारण न्यायालय द्वारा राजस्व मंडल के आदेश के अनुसरण में एवं पूर्व में मंडल द्वारा खारिज किये गये प्रार्थना पत्र के आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती नहीं दिये जाने के आधार पर विधि सम्मत् तरीके से प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है जिसमें कोई विधि एवं तथ्य सम्बंधी त्रुटि नहीं है।<br><br>निगरानी संख्या 5238/2021 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा–230 के अंतर्गत न्यायालय सहायक कलेक्टर जयपुर शहर (दक्षिण) द्वारा पारित आदेश दिनांक 18–10–2021 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि स्व0 नाथू वर्तमान अप्रार्थीगण ने एक वाद सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम के न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 53 व 188 निगरानी ज्ञापन में अंकित विवादित आराजी के संबंध में पेश किया जिसे सहायक कलक्टर ने डिक्री कर दिया। जिसके विरूद्ध प्रस्तुत अपील राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा खारिज कर दी गई। अपीलीय न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध प्रस्तुत द्वितीय अपील मंडल द्वारा खारिज कर दी गई, जिसके विरूद्ध प्रस्तुत नजरसानी विचाराधीन है। निगरानी ज्ञापन में अंकित विवादित आराजी के बाबत् दिवानी वाद न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश क्रम सं.9 जयपुर ने आदेश दिनांक 8–9–2021 द्वारा खारिज कर दिया। जिसके विरूद्ध हाल प्रार्थी के द्वारा अपील माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई। राजस्थान उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 30–9–2021 के द्वारा समस्त पक्षकारान को यथास्थिति बनाये रखने के आदेश प्रदान किये गये है। किंतु न्यायालय सहायक कलेक्टर ने आदेश दिनांक 18–10–2021 द्वारा कुरेजात रिपोर्ट मंगवाने के आदेश पारित कर दिये। जिससे व्यथित होकर यह निगरानी मंडल में पेश की गई है।<br><br>विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस मे कहा कि विवादित आराजी के सम्बंध में उच्च न्यायालय के यथास्थिति के आदेश पारित होने के बावजूद सहायक कलेक्टर ने कुरेजात रिपोर्ट मंगवाने के त्रुटिपूर्ण आदेश पारित किये है। सहायक कलेक्टर के आदेश से उच्च न्यायालय द्वारा दी गई यथास्थिति की अहमियत नहीं रह जायेगी। ऐसी स्थिति में सहायक कलेक्टर का आदेश त्रुटिपूर्ण होने से खारिज किया जावे एवं निगरानी स्वीकार की जावे। | |

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए |
|---|---|---|
| | उपरोक्त तर्को का विरोध करते हुये विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने कहा कि उच्च न्यायालय के विवादित आराजी के सम्बंध में यथास्थिति के आदेश दिये है जबकि उपखंड अधिकारी ने मात्र कुरेजात रिपोर्ट मंगवाने के आदेश दिये है। उक्त आदेश से विवादित आराजी की भौतिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता। निगरानी प्रस्तुत करने का मात्र उद्देश्य देरी करना है। अतः निगरानी सारहीन होने से खारिज की जावे।<br><br>उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि सहायक कलेक्टर जयपुर शहर प्रथम ने अपने आलोच्य आदेश दिनांक 18–10–2021 से न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22–2–01 की अनुपालना में कुर्रेजात रिपोर्ट मंगवाने हेतु आगामी तारीख नियत की है। उच्च न्यायालय द्वारा विवादित आराजी के सम्बंध में यथास्थिति के आदेश पारित किये है। सहायक कलेक्टर के कुर्रेजात रिपोर्ट मंगवाने के आदेश दिया जाना न्यायिक प्रक्रिया का एक भाग है जिससे विवादित आराजी की भौतिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में सहायक कलेक्टर जयपुर शहर (दक्षिण) प्रथम द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक 18–10–2021 में ऐसी कोई विधि एवं तथ्य सम्बंधी त्रुटि जाहिर नहीं है जिसके आधार पर उसमें हस्तक्षेप किया जावे।<br><br>निगरानी संख्या 5381/2021 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा–230 के अंतर्गत न्यायालय सहायक कलेक्टर जयपुर शहर (दक्षिण) द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–10–2021 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि स्व0 नाथू वर्तमान अप्रार्थीगण ने एक वाद सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम के न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 53 व 188 निगरानी ज्ञापन में अंकित विवादित आराजी के संबंध में पेश किया जिसे सहायक कलक्टर ने डिक्री कर दिया। जिसके विरूद्ध प्रस्तुत अपील राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा खारिज कर दी गई। अपीलीय न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध प्रस्तुत द्वितीय अपील मंडल द्वारा खारिज कर दी गई, जिसके विरूद्ध प्रस्तुत नजरसानी विचाराधीन है। निगरानी ज्ञापन में अंकित विवादित आराजी के बाबत् दिवानी वाद न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश क्रम सं.9 जयपुर ने आदेश दिनांक 8–9–2021 द्वारा खारिज कर दिया। जिसके विरूद्ध हाल प्रार्थी के द्वारा अपील माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई। राजस्थान उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 30–9–2021 के द्वारा समस्त पक्षकारान को यथास्थिति बनाये रखने के आदेश प्रदान किये गये है। किंतु न्यायालय सहायक कलेक्टर ने आदेश दिनांक 27–10–2021 द्वारा कुरेजात रिपोर्ट मंगवाने के आदेश पारित कर दिये। जिससे व्यथित होकर यह निगरानी मंडल में पेश की गई है।<br><br>विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस मे कहा कि विवादित आराजी के सम्बंध में उच्च न्यायालय के यथास्थिति के आदेश पारित होने के बावजूद सहायक कलेक्टर ने कुरेजात रिपोर्ट मंगवाने के त्रुटिपूर्ण आदेश पारित किये है। धारा 10 सीपीसी का उल्लंधन हुआ है। सहायक कलेक्टर के आदेश से उच्च न्यायालय द्वारा दी गई यथास्थिति की अहमियत नहीं रह जायेगी। यथास्थिति के | |

| | | |
|---|---|---|
| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए |
| | आदेश के प्रभाव में रहते बंटवाडा रिपोर्ट मंगवाकर बंटवाडा किया जाना उच्च न्यायालय के यथास्थिति के आदेश के विपपरीत है। ऐसी स्थिति में सहायक कलेक्टर का आदेश त्रुटिपूर्ण होने से खारिज किया जावे एवं निगरानी स्वीकार की जावे।<br><br>उपरोक्त तर्को का विरोध करते हुये विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने कहा कि प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय में प्रस्तुत मीमों में धारा 10 सीपीसी के सम्बंध में कोई अनुतोष नहीं चाहा है और ना ही उसमें उल्लेख है। उच्च न्यायालय के विवादित आराजी के सम्बंध में यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिये है, जबकि उपखंड अधिकारी ने मात्र कुरेजात रिपोर्ट मंगवाने के आदेश से विवादित आराजी की भौतिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता। अतः निगरानी सारहीन होने से खारिज की जावे।<br><br>उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि सहायक कलेक्टर जयपुर शहर प्रथम ने अपने आलोच्य आदेश दिनांक 27–10–2021 से न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22–2–01 की अनुपालना में कुर्रेजात रिपोर्ट मंगवाने हेतु तहसीलदार आमेर को कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस तीन प्रतियों में तैयार कर आगामी तारीख पेशी पर पेश करने के निर्देश दिये है। हमारी सुविचारित राय में उच्च न्यायालय द्वारा विवादित आराजी के सम्बंध में यथास्थिति के आदेश पारित किये गये है तथा सहायक कलेक्टर द्वारा पूर्व में पारित प्राथमिक डिक्री की अनुपालना में सम्बंधित तहसीलदार से नियमानुसार कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार कर पेश करने के आदेश दिये है जो प्रकरण की न्यायिक प्रक्रिया का एक भाग है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रोसिडिंग स्टे की गई हो, ऐसा कोई आदेश प्रस्तुत नहीं किया गया है। सहायक कलेक्टर के आदेश से विवादित आराजी की भौतिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में सहायक कलेक्टर जयपुर शहर प्रथम द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक 27–10–2021 में ऐसी कोई विधि एवं तथ्य सम्बंधी त्रुटि जाहिर नहीं है जिसके आधार पर उसमें हस्तक्षेप किया जावे।<br><br>निगरानी संख्या 5093/2023 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा–230 के अंतर्गत न्यायालय सहायक कलेक्टर जयपुर शहर (दक्षिण) द्वारा पारित आदेश दिनांक 13–9–2023 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि स्व0 नाथू वर्तमान अप्रार्थीगण ने एक वाद सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम के न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 53 व 188 निगरानी ज्ञापन में अंकित विवादित आराजी के संबंध में पेश किया जिसे सहायक कलक्टर ने डिक्री कर दिया। जिसके विरूद्ध प्रस्तुत अपील राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा खारिज कर दी गई। अपीलीय न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध प्रस्तुत द्वितीय अपील मंडल द्वारा खारिज कर दी गई। प्राथमिक डिक्री की अनुपालना में सहायक कलेक्टर ने प्रार्थी को तामील कराये बिना कुर्रेजात रिपोर्ट मंगवाने के आदेश दे दिये जिसकी पालना में तहसीलदार आमेर ने दिनांक 16–11–2021 को कुर्रेजात रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत 151 सीपीसी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार करने से पूर्व सभी पक्षकारों को सम्यक तामील कर | |

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए |
|---|---|---|
| | विधिपूर्वक सुनवाई का मौका दिया जावे। किंतु न्यायालय सहायक कलेक्टर ने आदेश दिनांक 13–9–2023 द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर यह निगरानी मंडल में पेश की गई है।<br><br>विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने निगरानी ज्ञापन में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये बहस में कहा कि अधीनस्थ न्यायालय ने व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आज्ञापक प्रावधानों के विपरीत जा कर आदेश पारित किया है। व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 5 में जो प्रक्रिया तलबी बाबत् दी गई है उक्त प्रक्रिया को नजरअदांज करते हुये हाल प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। कुर्रेजात रिपोर्ट बनाते समय पक्षकारान को सम्यक् तामील नहीं करवाई गई है। तलबी की पुस्त पर तहसीलदार के हस्ताक्षर व मोहर मौजूद नहीं जबकि तलबी रिपोर्ट पर तहसीलदार की सील व हस्ताक्षर होना अतिआवश्यक है। ऐसी स्थिति में तलबी पूर्ण नहीं मानी जा सकती। सहायक कलेक्टर ने अपनी आदेशिका में यह स्पष्ट नहीं किया कि किसकी तामील पूर्ण है एवं किसकी तामील अपूर्ण है जिसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। ऐसी स्थिति में सहायक कलेक्टर का आदेश त्रुटिपूर्ण होने से खारिज किया जावे एवं निगरानी स्वीकार की जावे। अभिभाषक प्रार्थी ने अपने कथनों के समर्थन में एआईआर सीसी पेज 575 (2014) राजस्थान हाईकोर्ट, एआईआर सीसी पेज 29 (2011) मद्रास हाईकोर्ट, आरआरटी 2022 पेज 903 हाईकोर्ट, डीएनजे 2021(रिविजन) पेज 1137 आदि न्यायिक दृष्टांत पेश किए।<br><br>उपरोक्त तर्को का विरोध करते हुये विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने कहा कि सहायक कलेक्टर ने प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार कर कुर्रेजात पर आपत्ति पेश करने का समय दिया है। प्रार्थी के कथन मनगढत एवं अविश्वसनीय है। अतः निगरानी सारहीन होने से खारिज की जावे।<br><br>उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रार्थी द्वारा न्यायालय सहायक कलेक्टर जयपुर शहर प्रथम के समक्ष आपत्ति जरिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार कर वाद में कुर्रेजात पर आपत्ति पेश करने हेतु समय दिया गया है। प्रार्थी कुर्रेजात रिपोर्ट के सम्बंध में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर उसका निस्तारण करवा सकता है। ऐसी स्थिति में सहायक कलेक्टर जयपुर शहर प्रथम द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक 13–9–2023 में ऐसी कोई विधि एवं तथ्य सम्बंधी त्रुटि जाहिर नहीं है जिसके आधार पर उसमें हस्तक्षेप किया जावे।<br><br>उपरोक्त चारों निगरानियों में पक्षकारान, विवादित आराजी एव वाद विषय वस्तु एक समान होने से एक ही निर्णय पारित किया जा रहा है तथा उपरोक्त चारों निगरानियों में प्रार्थी आक्षेपित आदेश में ऐसी कोई विधि या तथ्य सबंधी त्रुटि स्पष्ट नहीं कर पाया है जिससे आक्षेपित आदेश हस्तक्षेप योग्य प्रतीत हो। | |

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए |
|---|---|---|
| | उपरोक्त चारों निगरानियां राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है, जिसके अनुसार निगरानी का क्षेत्र अत्यन्त सीमित है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश में ऐसी कोई विधिक अथवा क्षेत्राधिकार सम्बन्धी त्रुटि कारित नहीं की गई है जिसके आधार पर निगरानी के माध्यम से आलोच्य आदेश में हस्तक्षेप किया जा सके। अतः हस्तगत चारों निगरानियां सारहीन होने से खारिज योग्य है।<br><br>परिणामतः हस्तगत चारों निगरानियां ग्राहयता के स्तर पर ही एतद्द्वारा खारिज की जाती है। आदेश की एक एक प्रति अलग अलग पत्रावली में संलग्न की जावे। पत्रावली फैसल शुमार नबंर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।<br><br>आदेश सुनाया गया।<br><br>(विष्णु कुमार गोयल)<br>सदस्य | |